न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 61/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 15.10.2019

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एलबीएस कॉलेज तिलक नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री धनराज सिंह चुण्डावत पुत्र गणपत सिंह चुण्डावत निवासी वार्ड नं. 9, राजपूत मौहल्ला, खेडली भूपालनगर कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
2-श्रीमति बेबी कुंवर पत्नि गणपत सिंह चुण्डावत निवासी हाउस नम्बर 21 खेडली भूपालनगर कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
3-श्री गणपत सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी हाउस नम्बर 21 खेडली भूपालनगर कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
4-श्रीमति विमला कंवर पत्नि मोहन सिंह निवासी रणछोडपुरा पाण्डोली कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
5-श्री नारायण सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी हाउस नम्बर 21 खेडली भूपालनगर कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
6-श्री रतन लाल साल्वी पुत्र गोवर्धन लाल साल्वी निवासी बिहान्ड बड़ौदा बैंक सैंती जिला चित्तौड़गढ़ व हायर सैकण्डरी स्कूल के पास नई आबादी वार्ड नं. 15, जिला चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री राजेश कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.01.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रार्थी को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 24.10.2018 से वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न हैः-

बेबी कुंवर की सम्पत्ति हाउस नम्बर 21 विलेज खेडली ग्राम पंचायत भूपाल नगर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ जिसके उत्तर में मानसिंह का मकान दक्षिण में जीतू सिंह पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में आम रास्ता है कुल क्षेत्रफल 2890 वर्गफीट

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 29.05.2019 तक राशि रूपये 5,50,974/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन राम देवड़ा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:30:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: